संख्या– 1001/62–3–2010–51एम/2011

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 17 मार्च, 2011

विषय– वर्ष 2011–12 हेतु चिन्हित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में सी0सी0 रोड/के0सी0 ड्रेन व जल निकासी हेतु नालियों के निर्माण की कार्य योजना तैयार किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास विभाग के शासनादेश संख्या–100/66–1–11–1/11, दिनॉक 17–1–2011 यथासंशोधित शासनादेश संख्या–449/66–1–11–दिनॉक 17–2–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो योजना से सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्ष सहित प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों को भी सम्बोधित/पृष्ठॉकित है। शासनादेशों में योजना के अर्न्तगत जनपदवार व मण्डलवार चिन्हित ग्रामों की संख्या के साथ–साथ अन्य महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं और यह अपेक्षा की गयी है कि चयनित ग्रामों की कार्य योजना दिनॉक 15–3–11 तक तैयार कर विभागीय ईमेल पर उपलब्ध करायी जाये।

2– इस सम्बन्ध में दिनॉक 13–3–11 को विभागीय अधिकारियों की राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक में भी विस्तार से चर्चा व समीक्षा भी की गयी थी। अभी तक कदाचित बहुत से प्रखण्डों द्वारा कार्य योजना तैयार कर सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं निदेशालय को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह आपत्तिजनक है। कृपया समस्त प्रखण्डों व परिमंडलों को कड़े निर्देश देकर एक सप्ताह के भीतर कार्य योजना तैयार कर सम्बन्धित जिलाधिकारियों व निदेशालय को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तैयार की गयी कार्य योजना तकनीकी रूप से ठीक हो तथा सी0सी0 रोड, के0सी0ड्रेन व अन्त तक जल निकासी हेतु नाली का ढ़ाल ऐसा हो कि आबादी में जल भराव की स्थिति न उत्पन्न होने पाये, इसके लिये आवश्यक है कि सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता व अधीक्षण अभियन्ता द्वारा सम्यक् रूप से कार्य योजना की स्थलीय जॉच व सत्यापन कर लिया जाये।

हॉलाकि डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सी0सी0रोड व के0सी0ड्रेन व जल निकासी नालियों के निर्माण के मानक एवं विशिष्टियॉ समय–समय पर परिचालित किये गये हैं, किन्तु यह आवश्यक है कि उक्त कार्य योजना बनाने में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा माह फरवरी में किये गये जनपदीय भ्रमण/निरीक्षण में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये और जल निकासी नालियों/आउटफाल ड्रेन को भी कार्य योजना में शामिल किया जाय। वर्ष 2010–11 में जल निकासी नालियों के निर्मण व उसके वित्त पोषण के सम्बन्ध में काफी समय तक अनिश्चय की स्थिति बनी रही थी। अतः वर्ष 2011–12 में इसप्रकार की कोई स्थिति उत्पन्न न होने पाये। डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा नियत प्रारूपों पर कार्ययोजना तैयार करने के साथ–साथ प्रतिवेदन में निम्न बातों का भी उल्लेख किया जाना उचित होगा:–

(1) चयनित ग्रामों व उनके मजरों में अलग–अलग कितनी–कितनी लम्बाई में सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन एवं जल निकासी नाली का निर्माण कराया जाना है व उसकी कितनी–कितनी लागत होगी।

(2) जल निकासी नाली/आउटफाल ड्रेन की लागत में सामग्री अंश कितना होगा व श्रमअंश कितना होंगा।

(3) यदि गॉव में स्थित स्कूल व सामुदायिक केन्द्र जैसे सार्वजनिक भवन आबादी से बाहर स्थित हो तो उन तक सी0सी0 रोड/के0सी0ड्रेन. एवं जल निकासी नाली कितनी लम्बाई में बनायी जानी होगी व उसकी लागत कितनी आयेगी।

3– मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जनपदवार चयनित ग्रामों एवं उनमें शामिल मजरों की संख्या को देखते हुए सभी प्रखण्डों में एक मानक पर सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता की तैनाती के बजाय कार्य के परिमाण के सापेक्ष पदों का आवंटन व तैनाती की जानी होगी, ताकि निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण ढंग से कड़े तकनीकी पर्यवेक्षण में कार्य पूर्ण हो सके। अतः इस हेतु भी सम्यक् रूप से परीक्षण कर सुविचारित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करा दिये जायें।

भवदीय,

16.3.2011

(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव ।